



# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 03/07/2023

## अधिसूचना

संख्या- नि०प्रा०/नि० 1-13/2022 खण्ड 1230 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 294 दिनांक 07.02.2023 द्वारा अन्य समितियों के साथ समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत उजियारपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 494 दिनांक 07.03.2023 द्वारा स्थगित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पूर्व नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था।

चूंकि प्राधिकार के पत्रांक 1182 दिनांक 22.06.2023 द्वारा मतदाता सूची में नये नाम शामिल किये गये है। अतः उजियारपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 294 दिनांक 07.02.2023 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	17.07.2023 (सोमवार) एवं 18.07.2023 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	19.07.2023 (बुधवार) एवं 20.07.2023 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी	22.07.2023 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	02.08.2023 (बुधवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	02.08.2023 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	04.08.2023 (शुक्रवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में उजियारपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इशतेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 12.07.2023 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सनिश्चित करेंगे।

3. पूर्व के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दायर किया गया है, उन्हें भी पुनः नामांकन पत्र दायर करना होगा, किंतु उन्हें नामांकन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने नामांकन पत्र के साथ पूर्व में जमा किये नामांकन शुल्क की रसीद की प्रति संलग्न करेंगे। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित

सदस्यों की सूची फ़ैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

6. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक **04.08.2023** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ **122-129** पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या 294 दिनांक 07.02.2023 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

  
(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1230

पटना/ दिनांक

03/07/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
सचिव।

ज्ञापांक : 1230

पटना/ दिनांक

03/07/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), समस्तीपुर/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), समस्तीपुर/ पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/ अपर समाहर्ता, समस्तीपुर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), उजियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक : 1230

पटना/ दिनांक

03/07/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।


ज्ञापांक : 1230

पटना/ दिनांक

03/07/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
सचिव।